भीम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 5(9)नविवि/II/2020 पार्ट–2 जयपुर, दिनांकः 29 JUN 2021

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा(भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24–ए उप नियम(ii)(ए) के अन्तर्गत इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(15)नविआ/1994 पार्ट दिनांक 20.10.2005 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.12.2020 में श्री अरविन्द कुमार माथुर को विभिन्न वित्तीय वर्षो की रिक्तियों के विरूद्ध अलग–अलग पदों पर पदोन्नति प्रदान करने की अभिशंषा की गई थी, लेकिन तत्सयम श्री माथुर के निलम्बित होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नही गये थे।

श्री अरविन्द कुमार माथुर को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.03.2021 द्वारा निलम्बन से बहाल किया जा चुका है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.12.2020 में समिति द्वारा की गई अभिशंषानुसार पदोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक 24.12.2020 को जारी विभिन्न पदोन्नति आदेशों की निरंतरता में श्री अरविन्द कुमार माथुर को निम्नांकित पदों पर उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरूद्ध एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता हैः–

क्र.सं.	पदोन्नति पर मिलने वाला पद	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	सहायक अभियंता	2004–05	
2.	अधिशाषी अभियंता	2010–11	
3.	अधीक्षण अभियंता	2016–17	

पदोन्नति उपरान्त श्री अरविन्द कुमार माथुर को अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पद पर एतदद्वारा पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

29.6.2021

(राजपाल सिंह यादव)
शासन संयुक्त सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. श्री अरविन्द कुमार माथुर द्वारा– जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव–द्वितीय